महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या:28/2021/1058/2021/ 1372933/12-2099/95/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 08 जून, 2021

विषय: प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजना (Promotion of Agricultural Mechanization for In-Situ Management of Crop Residues Scheme) के सामान्य संचालन तथा एफ0पी0ओ0, पंजीकृत किसान समितियों, व पंजीकृत एन0आर0एल0एम0 समूह हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

अवगत हैं कि प्रदेश में कुल लगभग 60.00 लाख हे0 क्षेत्रफल में धान एवं कुल लगभग 98.00 लाख हे0 क्षेत्रफल में गेहूँ की खेती की जाती है, विगत कुछ वर्षों में कृषक मजदूरों की कमी तथा विशेषकर धान एवं गेहूँ की कम्बाइन से कटाई/मड़ाई होने के कारण अधिकांश क्षेत्रों में कृषकों द्वारा फसल अवशेष जलाये जा रहे हैं, जिसके कारण वातावरण प्रदूषित होने के साथ-साथ मिट्टी के पोषक तत्वों की अत्यधिक क्षति होती है साथ ही मिट्टी के भौतिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2. एक टन धान के फसल अवशेष जलाने से 3.0 कि0ग्रा0 कणिका तत्व, 60.0 क्रि0ग्रा0 कार्बन मोनो ऑक्साइड्, 1460 क्रि0ग्रा0 कार्बन डाई आक्साईड 199.0 कि0ग्रा0 राख एवं 2.0 कि0ग्रा0 सल्फर डाई आक्साइड अवमुक्त होता है। इन गैसों के कारण सामान्य वायु की गुणवत्ता में कमी आती है, जिससे ऑखों में जलन एवं त्वचा रोग तथा सूक्ष्म कणों के कारण जीर्ण हृदय एवं फेफड़े की बीमारी के रूप में मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। एक टन धान का फसल अवशेष जलाने से लगभग 5.5 कि0ग्रा0 नाइट्रोजन, 2.3 कि0ग्रा0 फास्फोरस ऑक्साइड्, 25.0 कि0ग्रा0 पोटेशियम आक्साइड, 1.2 कि0ग्रा0 सल्फर, धान के द्वारा शोषित 50-70 प्रतिशत सूक्ष्म पोषक तत्व एवं 400.0 कि0ग्रा0 कार्बन की क्षति होती है। पोषक तत्वों के नष्ट होने के अतिरिक्त मिट्टी के कुछ गुण जैसे भूमि तापमान, पीएच नमी उपलब्ध फास्फोरस एवं जैविक पदार्थ भी अत्यधिक प्रभावित होते हैं।

3. धान की कटाई एवं गेहूँ की बुवाई के मध्य बहुत कम 20 से 30 दिन समय ही उपलब्ध होता है। कृषकों को गेहूँ की बुआई की जल्दी होती है तथा खेत की तैयारी में कम समय लगे एवं शीघ्र ही गेहूँ की बुआई हो जाये इस उद्देश्य से कृषकों द्वारा अवशेष जलाने के दुष्परिणामों से भिज्ञ होते हुये भी, फसल अवशेष जला देते है, जिसकी रोकथाम करना पर्यावरण के लिए अपरिहार्य है। अतः इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार द्वारा "प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रेजीड्यू योजना', का क्रियान्वयन उचित रणनीति के माध्यम से फसल जलाने की घटना शून्य करने की परिकल्पना से किया गया है।

4. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से प्रदेश हेतु नयी केन्द्रीय योजना "प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेजीड्यू" अनुमोदित की गयी है। यह योजना प्रदेश में फसल अवशेष इन सीटू प्रबन्धन में उपयोगी यंत्रों एवं मशीनों को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न कृषि यन्त्र/उपकरण जैसे सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम टू बी अटैच्ड विद इक्जीस्टिंग कम्बाइन हार्वेस्टर, हैपी सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/मल्चर, रोटरी स्लैसर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, जीरो टिल सीड कम फर्टी लाइजर ड्रिल, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, क्राप रीपर, रीपर कम बाइण्डर, इत्यादि विकसित एवं सफलतापूर्वक भारत सरकार द्वारा किसानों के खेतों में प्रदर्शित किये गये हैं।

5. **<u>योजना अन्तर्गत तीन प्रकार के लाभार्थी होंगे:-</u>**

(i) व्यक्तिगत कृषक जो अधिकतम 02 यंत्रों तक 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) एफ0पी0ओ0, सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत एन0आर0एल0एम0 समूह व पंजीकृत किसान समितियों के फार्म मशीनरी बैंक पर 80 प्रतिशत अनुदान।

(iii) ग्राम पंचायत, सहकारी समिति, गन्ना समिति व औद्यानिक समितियों को 80 प्रतिशत अनुदान पर फार्म मशीनरी बैंक, जिसके लिए पृथक से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं।

6. **<u>आवेदन एवं चयन की प्रक्रिया:</u>**

(i) योजना के निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक 'पहले आओ-पहले पाओ' के सिद्धान्त पर यंत्रों तथा उपकरणों का वितरण कराया जायेगा।

(ii) योजना अन्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष 300 प्रतिशत तक बुकिंग कर प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी।

(iii) पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल पर किसान पंजीकरण हेतु आधार को अनिवार्य किया जाय। किसी कृषक/लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं होने पर किसान द्वारा आधार कार्ड हेतु की गयी आवेदन का इनरोलमेन्ट संख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(iv) समस्त प्रकार के कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु टोकन निर्गत किये जाने हेतु विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त करने का विकल्प होगा, यदि, पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नम्बर बन्द होगा तो लाभार्थी के नये मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जायेगा। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगा जब तक लाभार्थी की वेरिफिकेशन हेतु बायोमेट्रिक व्यवस्था आरम्भ नही होती है।

7. **<u>फार्म मशीनरी बैंक एवं शक्ति चालित कृषि यंत्रों के लक्ष्य तथा वितरण व्यवस्था:</u>**

(i) योजना के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल पर पंजीकृत कृषक को यंत्रवार टोकन निर्गत किए जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ii) विभिन्न कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक के जनपदवार लक्ष्य जनपदों में धान का क्षेत्रफल, फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाओं एवं जनपदों द्वारा प्रेषित विकास खण्डवार कार्य योजना के आधार पर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(iii) जनपदवार/यंत्रवार निर्धारित लक्ष्यों को कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

8. **<u>जमानत धनराशि, सत्यापन एवं अनुदान की प्रक्रिया:</u>**

(i) रूपये 10001/- से रूपये 100000/- तक अनुदान के कृषि यंत्र हेतु जमानत धनराशि रूपये 2500/- होगी।

(ii) रूपये 100001/- से ऊपर के कृषि यंत्र, फार्म मशीनरी बैंक हेतु जमानत धनराशि रूपये 5000/- होगी।

(iii) कृषक को टोकन प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कृषि यंत्र हेतु निर्धारित जमानत धनराशि बैंक जाकर या ऑनलाइन जमा करनी होगी तथा बैंक एवं पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धनराशि जमा करने का प्रमाण पत्र पोर्टल पर स्वत: अंकित हो जायेगी। यदि कृषक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर निर्धारित जमानत धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसका टोकन स्वत: निरस्त हो जायेगा और प्रतीक्षा सूची में अगले कृषक को अवसर मिलेगा।

(iv) कृषक को बुकिंग कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद यंत्रों की फोटो व सीरियल नम्बर एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 30 दिवस का समय दिया जायेगा। फार्म मशीनरी बैंक हेतु अधिकतम 45 दिन का समय दिया जायेगा।

(v) लाभार्थियों द्वारा टोकन के माध्यम से जमा की जाने वाली जमानत धनराशि को निर्धारित समय के अन्तर्गत यंत्र नहीं खरीदने पर चालू वित्तीय वर्ष में जब्त नहीं किया जायेगा बल्कि जमानत धनराशि को कैरी फारवर्ड किया जायेगा तथा आगामी वित्तीय वर्ष में पुन: यंत्र क्रय कर बिल अपलोड करने हेतु मौका दिया जायेगा, यदि इसके उपरान्त भी कृषक/लाभार्थी द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उस स्थिति में लाभार्थी की टोकन धनराशि जब्त कर ली जायेगी। गत वर्ष के टोकन मनी जमा लाभार्थियों को इस वर्ष लाभ दिया जायेगा।

(vi) अभिलेख अपलोड करने की तिथि से दो सप्ताह में यंत्र एवं अभिलेखों का सत्यापन किया जाना होगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी यंत्र की फोटो खींच कर विभागीय पोर्टल पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करेंगे।

(vii) लाभार्थियों के द्वारा बिल एवं अन्य आवश्यक अभिलेख जिस क्रम में विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, उसी क्रम में जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा उन लाभार्थियों के यंत्रों का सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(viii) सत्यापनोपरान्त सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करते हुए डी0बी0टी0 की कार्यवाही 15 दिन के अन्दर सम्पादित की जायेगी।

(ix) एक किसान (पति या पत्नी में से कोई एक) अपनी आवश्यकतानुसार एक वित्तीय वर्ष में फसल अवशेष प्रबंधन वाले भिन्न-भिन्न प्रकार के अधिकतम दो कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के बाद वही कृषि यंत्र 10 वर्ष के उपरान्त ही क्रय कर सकेगा।

(x) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु लाभार्थियों से प्राप्त किए जाने वाले शपथ/घोषणा पत्र की भॉति ही रूपये 50000/- से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लाभार्थियों से भी शपथ पत्र/घोषणा पत्र (रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर) प्राप्त किया जायेगा।

(xi) यदि किसी पंजीकृत किसान समिति, कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) एवं पंजीकृत एन0आर0एल0एम0 समूह द्वारा फार्म मशीनरी बैंक के लिए आवेदन किया गया है तो उसका सत्यापन तभी किया जायेगा जब उसके द्वारा फार्म मशीनरी बैंक के अन्तर्गत क्रय किए गए समस्त कृषि यंत्रों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा।

(xii) रूपये 50000/- तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों का सत्यापन किसी भी वर्ग के प्राविधिक सहायक, अवर अभियन्ता अथवा किसी भी राजपत्रित अधिकारी से कराया जा सकता है। रूपये 50000/- से अधिक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक का सत्यापन किसी भी राजपत्रित अधिकारी अथवा राजपत्रित अधिकारियों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने पर प्राविधिक सहायक वर्ग-ए, बी, सी एवं अवर अभियन्ता में से किन्ही दो भिन्न वर्ग के कर्मचारियों के माध्यम से सत्यापन कराया जा सकता है। सत्यापित रिपोर्ट पर उप कृषि निदेशक अनिवार्य रूप से प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।

(xiii) चयन की तिथि से पूर्व क्रय कर लिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान अनुमन्य नहीं होगा।

(xiv) अनुदान का वितरण करने से पूर्व पोर्टल पर किसान का पंजीकरण संबंधी डाटा आवश्यक अभिलेखों के आधार पर अवश्य वैलीडेट कर लिया जाये।

(xv) प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजनान्तर्गत प्रत्येक आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता आपूर्ति कृषि यंत्रों पर योजना का नाम, वर्ष तथा जनपद का नाम, डेढ़ इंच गुणा चार इंच की पत्ती (प्लेट) पर पेन्ट से लिखकर यंत्र पर फिक्स किया जायेगा।

(xvi) वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त मण्डलीय सहायक कृषि अभियंता अपने मण्डल के समस्त जनपदों में स्थापित फार्म मशीनरी बैंक की शत-प्रतिशत सत्यापन कर रिपोर्ट/आख्या अपने मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक के माध्यम से कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश अभियंत्रण अनुभाग को प्रेषित करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कृषि यंत्रों का 20 प्रतिशत सत्यापन भी मण्डलीय सहायक कृषि अभियंता द्वारा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(xvii) कृषि यंत्रों के सत्यापन के समय लाभार्थी के जाति का एवं मोबाइल नम्बर स्वयं का अथवा उसके परिवार का है कि नहीं इस बात का भी सत्यापन अवश्य किया जाय।

(xviii) सभी यंत्रों को कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा इन्पैनेल्ड कम्पनियों/कम्पनियों (जिनकी सूची विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है) के अधिकृत विक्रेता से क्रय करना अनिवार्य होगा।

(xix) भौतिक सत्यापन के समय सभी यंत्रों के क्रय बिल बाउचर पर अंकित सीरियल नम्बर का मिलान यंत्रों पर उत्कीर्ण (Engraved)/उभरा हुआ (Embossed) सीरियल नम्बर से अवश्य किया जाये।

9. <u>जिला स्तरीय समिति का गठन:</u>

भारत सरकार की ''प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेजीड्यू'' योजनान्तर्गत जारी गाइड-लाइन के अनुसार शासनादेश संख्या: 618/12-3-2018-100(30)/2018 दिनांक 27 जुलाई, 2018 के द्वारा गठित जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति स्तर से नियमानुसार योजना का परिपालन कराया जायेगा:-

क्र0सं0	पदनाम	समिति का पद
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	उप कृषि निदेशक	सदस्य-सचिव
3	जिला कृषि अधिकारी	सह सदस्य सचिव
4	जिला गन्ना अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी/सहायक निबंधक, सहकारी समितियॉ/जिला पंचायत राज अधिकारी/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/आई0सी0ए0आर0 संस्थान/कृषि विज्ञान केन्द्र/लीड बैंक/नाबार्ड प्रत्येक से एक प्रतिनिधि/जनपद में सेल्फ हेल्थ ग्रुप (एस0एच0डी0) के प्रतिनिधि/प्रगतिशील कृषक	विशेषज्ञ सदस्य

(i) योजना में चयन की प्रक्रिया कृषि विभाग के किसान पारदर्शी सेवा योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर होने के कारण कृषकों के चयन के उपरान्त, यंत्रवार कृषकों की सूची जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित की जायेगी।

(ii) उपरोक्त समिति/जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त अनुदान राशि नियमानुसार लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।

(iii) लाभार्थी चयन से पूर्व प्रत्येक जनपद में योजना का प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों यथा प्रेस-नोट आदि के द्वारा कराया जायेगा जिसमें इन सीटू यंत्रों की उपयोगिता के बारे में कृषकों को अवगत कराया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगा तथा पंजीकरण के आधार पर चयन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

(iv) कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक के अन्तर्गत क्रय किए गए यंत्रों के सत्यापन के समय ही 'CHC farm machinery Mobile App' पर कृषि यंत्रों का विवरण अपलोड किया जायेगा।

10. **<u>अनुश्रवण एवं उत्तरदायित्व</u>:**

(i) कृषि यंत्रों के भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों की समय से शतप्रतिशत पूर्ति हेतु संबंधित जनपद के उप कृषि निदेशक उत्तरदायी होंगे।

(ii) समस्त अपर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश/टास्क फोर्स अधिकारी भ्रमण के समय मण्डल/जनपद स्तर पर कृषि यंत्र वितरण की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

(iii) संयुक्त कृषि निदेशक(अभियंत्रण) कृषि, लखनऊ, योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करेंगे।

11. **<u>प्रशासनिक व्यय</u>**:

योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय की धनराशि का उपयोग भारत सरकार की निर्गत रिवाइज्ड गाइड लाइन एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजना के प्रचार-प्रसार तथा योजना संचालन हेतु अन्य आकस्मिक व्यय के प्रावधानानुसार किया जा सकेगा।

12. **<u>फ्लैक्सी फण्ड:</u>**

(i) फ्लैक्सी फण्ड मद के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर गोष्ठियों, प्रदर्शन, एक्सपोजर विजिट, कृषि यंत्र क्रय कर प्रशिक्षण केन्द्रों को सुदृढ करना, योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रचार-प्रसार एवं अन्य कार्य किया जा सकेगा।

(ii) फसल अवशेष को खाद के रूप में शीघ्रता से परिवर्तित करने हेतु बेस्ड डिकम्पोजर का क्रय व प्रयोग किया जाये।

13. **<u>रूपये 5.00 लाख से 15.00 लाख तक की परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक:</u>**

(i) रूपये 5 से 15 लाख तक के परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये जाने हेतु फसल अवशेष प्रबंधन हेतु उपयोगी कृषि यंत्रों पर अधिकतम रूपये 5.00 लाख की लागत पर 80 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 4.00 लाख) अनुदान इन सीटू योजना से तथा ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, मल्टीक्राप थ्रेसर, पैडी ट्रान्स प्लान्टर इत्यादि अन्य कृषि यंत्रों हेतु अधिकतम रूपये 10.00 लाख की लागत पर 80 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 8.00 लाख)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत देय होगा।

(ii) रूपये 5 से 15 लाख तक के परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के अन्तर्गत परियोजना लागत का कम से कम 35 प्रतिशत क्राप रेजीड्यू मैनेजमेंट के कृषि यंत्रों को सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

14. **<u>सामान्य निर्देश</u>**:

(i) इस स्कीम का उद्देश्य फसल अवशेषों के इन-सीटू (यथास्थान/खेत में) प्रबंधन संबंधी उपकरण/मशीनरी को खेती के विभिन्न चरणों के लिए किराये पर उपलब्ध करवाना है।

(ii) जिले में फार्म मशीनरी बैंक चिन्हित स्थान पर कलस्टर (समूह) आधार पर स्थापित किए जायेंगे।

(iii) प्रत्येक फार्म मशीनरी बैंक की कम से कम 10 हेक्टेयर प्रतिदिन तथा फसल अवधि में 200 हैक्टेयर भूमि को कवर करने की क्षमता होनी चाहिए।

(iv) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए पंजीकृत किसान समिति, कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0), पंजीकृत एन0आर0एल0एम0 का ऑन-लाइन टोकन के माध्यम से ''प्रथम आओ-प्रथम पाओ'' के अनुसार लाभार्थियों का चयन होगा।

(v) इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण की खरीद राज्य सरकार के अधिकृत निर्माताओं से की जायेगी। लाभार्थी अधिकृत सूची से अपनी पसन्द के अनुसार कोई ब्राण्ड खरीदने के लिए स्वतंत्र है जिसका अधिकतम मूल्य इम्पैनेलेमेंट के साथ निर्धारित किया गया है।

(vi) लाभार्थी फार्म मशीनरी बैंक 05 वर्ष के पहले किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानान्तरित/गिरवी/बेच नहीं सकता जब तक कि कार्य समय/भूमि प्रबंधन की शर्त पूरी नहीं हो जाती।

(vii) जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति (डी0एल0ई0सी0) फार्म मशीनरी बैंक के उपकरण/मशीनरी के किराये के रेट/चार्जेज क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के आधार पर तय करेगा।

(viii) कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, कलस्टर के किसानों के लिए, कृषि उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अधीन स्थापित किये जाने वाले

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म मशीनरी बैंक के साथ स्कीम की हिदायतों में दिये प्रारूप पर (रूपये 100/-के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर) के अनुसार अनुबंध किया जायेगा।

(ix) स्थापित फार्म मशीनरी बैंक को कृषि विज्ञान केन्द्र (के0वी0के0)/अधिकृत निर्माता/अनुमोदित कृषि यंत्र जांच केन्द्रों (FMTTI) तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा मशीनों के रख-रखाव/प्रचालन तथा सेवा केन्द्र के सदस्यों/उद्यमियों को प्रशिक्षण देने हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

(x) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु कृषि यंत्रों/मशीनों के क्रय हेतु बैंक से ऋण लेने की अनिवार्यता नहीं होगी, जिन लाभार्थियों द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त कर यंत्रों का क्रय किया जायेगा, उनको अनुदान की धनराशि क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड सब्सिडी के आधार पर देय होगी। बैंक ऋण 04 वर्ष से पूर्व भुगतान नहीं किया जा सकेगा। परियोजना के यंत्रों को 05 वर्षो तक विक्रय/स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

(xi) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु लाभार्थी एफ0पी0ओ0/पंजीकृत किसान समिति/पंजीकृत एन0आर0एल0एम0 समूह द्वारा यदि बैंक से ऋण प्राप्त किया जाता है तो उक्त लाभार्थी एफ0पी0ओ0/पंजीकृत किसान समिति/पंजीकृत एन0आर0एल0एम0 समूह को कम से कम 10 प्रतिशत लागत स्वयं वहन करनी होगी।

(xii) लाभार्थी एफ0पी0ओ0/समिति संबंधित जिले का हो।

(xiii) लाभार्थी एफ0पी0ओ0/किसान समिति/पंजीकृत एन0आर0 एल0एम0 समूह की स्थिति में कम्पनी अधिनियम/सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है।

(xiv) लाभार्थी की स्वयं की अथवा कम से कम 10 वर्ष के लिए वैध् पट्टे की भूमि का होना आवश्यक है जिस पर विभागीय निर्देशानुसार शेड आदि का निर्माण लाभार्थी द्वारा कराया जायेगा, जिसमें फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना होगी, जहॉ कृषि यंत्रों एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखा जायेगा।

(xv) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु क्रय की जाने वाली मशीनों के रख-रखाव आर0टी0ओ0 पंजीयन, बीमा, शेड निर्माण एवं आवश्यकता हेतु भूमि आदि की व्यवस्था

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आवेदक को स्वयं करनी पड़ेगी। अनुदान केवल यंत्रों की लागत पर देय होगा।

(xvi) फार्म मशीनरी बैंक सड़क के किनारे तथा पर्याप्त स्थान पर हो जिससे कार्यालय एवं शेड आदि का निर्माण किया जा सके।

(xvii) फार्म मशीनरी बैंक संचालन हेतु कार्यालय अवश्य बनाया जायेगा।

15. आवश्यक अभिलेख:

(i) उपस्थिति रजिस्टर।

(ii) समूह हेतु बैठक रजिस्टर (जिसमें समूह की बैठक का कार्यवृत्त अंकित हो)

(iii) यंत्र रजिस्टर।

(iv) निर्धारित यंत्रवार किराये की दर।

(v) यंत्र मूवमेंट रजिस्टर।

(vi) किराये की रसीद।

(vii) बहीखाता।

(viii) वार्षिक बैलेंसशीट।

(ix) विभाग द्वारा जारी स्वीकृति पत्र।

16. स्वीकृति प्रक्रिया:

लाभार्थियों का चयन ऑन-लाइन पंजीकरण के क्रम में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजना के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी आपरेशनल गाइड लाइन के एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप चयन प्रक्रिया अपनायी जाए।

17. विभिन्न यंत्रों पर देय अनुदान:

प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में देय अनुदान का पैटर्न

(धनराशि रूपये में)

क्र0सं0	घटक-2 कृषि यंत्रों का वितरण	अनुदान की दर अधिकतम रूपये में	अधिकतम अनुदान का प्रतिशत
1	सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एस0एम0एस) कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ	54,290	50 प्रतिशत
2	हैप्पी सीडर		
	9 टाइन	74,000	50 प्रतिशत
	10 टाइन	76,500	50 प्रतिशत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	11 टाइन	78,500	50 प्रतिशत
	12 टाइन	82,000	50 प्रतिशत
3	पैडी स्ट्राचापर/श्रेडर/मल्चर (क) माउण्टेड टाइप स्ट्राचापर एण्ड मल्चर		
	5 फिट	74,000	50 प्रतिशत
	6 फिट	78,000	50 प्रतिशत
	7 फिट	82,000	50 प्रतिशत
	8 फिट	86,500	50 प्रतिशत
	(ख) ट्रेल्ड टाइप	1,34,000	50 प्रतिशत
4	श्रव मास्टर/रोटरी स्लेशर	22,375	50 प्रतिशत
5	हाइड्रोलिक रिवर्सेवुल एम0बी0 प्लाऊ		
	(क) 2 बाटम	71,250	50 प्रतिशत
	(ख) 3 बाटम	92,750	50 प्रतिशत
	(ग) 4 बाटम	1,14,250	50 प्रतिशत
	जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल		
6	9 टाइन	22,500	50 प्रतिशत
	11 टाइन	25,600	50 प्रतिशत
	13 टाइन	28,000	50 प्रतिशत
	15 टाइन	30,000	50 प्रतिशत
7	सुपर सीडर	1,05,000	50 प्रतिशत
8	बेलिंग मशीन		
	बेलर (राउण्ड-मिनी-14 कि0ग्रा0 से कम प्रति बेल)	1,50,000	50 प्रतिशत
	बेलर (राउण्ड-बिग-16-25 कि0ग्रा0 से अधिक प्रति बेल)	5,50,000	50 प्रतिशत
	बेलर (राउण्ड-वेरी बिग- 180-200 कि0ग्रा0 प्रति बेल)	9,00,000	50 प्रतिशत
	बेलर (राउण्ड-रेक्टेनंगुलर- 18-20 कि0ग्रा0 प्रति बेल)	6,00,000	50 प्रतिशत
	स्ट्रा रेक	1,50,000	50 प्रतिशत
9	क्राप रीपर		
	ट्रैक्टर माउण्डेट	75,000	50 प्रतिशत
	सेल्फ प्रोपेल्ड	75,000	50 प्रतिशत
	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइण्डर (3 व्हील)	1,75,000	50 प्रतिशत
	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइण्डर (4 व्हील)	2,50,000	50 प्रतिशत

http://shasanadesh.up.gov.in

18. <u>इन्फार्मेशन, एजूकेशन एण्ड कम्युनिकेशन</u>

इस घटक का उद्देश्य फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए किसानों में प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागृत करना है। इस घटक के अन्तर्गत विभिन्न मदों द्वारा न्याय पंचायत स्तर, विकास खण्ड स्तर, जनपद स्तर तथा राज्य स्तर पर गोष्ठी के आयोजन, लिफ्लेट्स, पर्मानेन्ट होर्डिंग्स, समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियो, जिंगलस, दूर-दर्शन पर ऑडियो-वीडियो क्लिप्स तथा किसानों के खेतों में प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण तथा स्कूल/कालेजों में निबंध लेखन व वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन व स्काउट गाइड, एन0एस0एस0 एवं एन0सी0सी0 संगठनों का सहयोग भी जन जागरूकता हेतु प्राप्त किए जाने के माध्यम से किसानों को फसल अवशेष को जलाने से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराना है तथा उनको न जलाने से भूमि एवं पर्यावरण में जो सुधार होगा, उसके प्रति किसानों को जागरूक किया जाना तथा इससे उत्पादन में वृद्धि से भी अवगत कराया जाना है क्योंकि फसल अवशेष न जलाने से जो जैविक पदार्थ खेतों में मिलेंगे उससे खेतों में जीवांश पदार्थ की बढ़ोत्तरी होगी। निर्धारित सभी कार्यक्रमों को प्रत्येक दशा में 31 अक्टूबर तक पूर्ण किया जाना है।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या: 28/2021/1372933(1)/12-2099/95/2021 तद्दिनांक</u>।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन,
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in